राजस्थान सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं

2 ,जल पथ, गाँधी नगर

राजस्थान जयपुर

जयपुर,दिनांकः– 31-8-18

क्रमांक :एफ ( )सामान्य/पोषण मिशन बैठक/आईसीडीएस/2018/ 160722-754

उप निदेशक,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त-------------------------------।

विषयः– पोषण मिशन की कार्यशाला में दिये गये निर्देशों की पालना के संबंध में।

दिनांक 29.8.2018 को जयपुर में पोषण मिशन की आयोजित कार्यशाला के दौरान आपको निम्नानुसार दिये गये निर्देशों की पालना की जावें:–

1. पोषाहार में व्याप्त अनियमिताओं को गंभीरता से लिया जाये। आंगनवाड़ी केन्द्रों पर वितरित किये जा रहे पोषाहार की व्यवस्था, वितरण एवं उसकी गुणवत्ता के संबंध में विभाग स्तर से जारी दिशा–निर्देशों का अक्षरक्षःपालन किया जावें । इस संदर्भ में केन्द्र पर पंजीकृत लाभार्थियों का भौतिक रूप सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करवाया जावें। इस संदर्भ में एस;एच.जी. समूह द्वारा बनाये जा रहे पोषाहार व्यवस्था एवं गुणवत्ता सहित सभी बिन्दुओं पर महिला पर्यवेक्षक द्वारा समयबद्ध तरीके से अनिवार्यतः निरीक्षण कर इस बाबत संतोषजनक होने का प्रमाणन किया जावें। केन्द्र पर पोषाहर आगम एवं वितरण रजिस्टर का प्रमाणन पर्यवेक्षक स्तर पर भी किया जावें।
2. महिला पर्यवेक्षकों के लम्बित यात्रा भत्ता बिलों का देय भुगतान नियमित रूप से किया जावें।
3. 21 नव सृजित परियोजनाओं को प्रारम्भ करवाया जावें।
4. रिक्त चल रहे आंगनवाडी कार्यकर्ता/सहायिका एवं सहयोगिनी के पदों पर चयन किया जाना सुनिश्चित किया जावें। कई जिलों में काफी पद रिक्त चल रहे हैं।
5. कार्मिकों की नियत समय पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त नहीं होने से विभागीय पदोन्नति में देरी हो रही है, अतः सभी अधिकारीगण अपने अधीनस्थ कार्मिकों के वार्षिक

कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट नियमानुसार पूर्ण कर नियत समय पर संबंधित को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

6. आंगनवाडी प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण (चैक लिस्ट अनुसार) किया जाकर रिपोर्ट निदेशालय को शीघ्र भिजवायें।
7. उप निदेशक/परियोजना कार्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि आंवटन करवा कर सूचना निदेशालय को भेजी जाये जिससे कि भवन कार्य स्वीकृत किया जा सकें।
8. आंगनवाडी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु भूमि के पट्‌टे/एनओसी की सूचना जिला परिषद् को देकर कार्य स्वीकृत करवाया जावें।
9. नाबार्ड एवं अन्य स्कीमों यथा नरेगा वर्ष 2015–16,2016–17, देवनारायण योजना एम.एस.डी.पी, मिशन मोड़ एवं आयोजना मद के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की नियमित मोनिटरिंग कर प्रगति से निदेशालयय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
10. बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं सभी महिला पर्यवेक्षक आंगनवाडी केन्द्रों का नियमित रूप से तय नोर्मस के अनुसार निरीक्षण कर सूचनाएं ऑन–लाईन नियत समय पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।
11. रिक्त बाल विकास परियोजना अधिकारी के चार्ज दिये जाने के संबंध में विभाग द्वारा नोर्मस दिये गये है। कृपया नोर्मस अनुसार ही बाल विकास परियोजना अधिकारी के चार्ज दिये जाने की कार्यवाही करें।

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाए,

राजस्थान,जयपुर